न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोद कुमार मीना, आर.ए.एस

वाद संख्या–89 / 2017
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
तारीख निर्णय – 03.03.2020

1. शारदा देवी पत्नि रामखिलाडी जाति जाट निवासी गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर – प्रार्थी

बनाम

1. दिगम्बर उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप
2. श्यामवती उम्र 42 वर्ष पत्नी दिगम्बर
3. मौनू उम्र 22 वर्ष पुत्र दिगम्बर जाति जाट निवासी झौरोल तहसील नदबई
4. मधु उम्र 21 वर्ष पत्नी मौनू
5. शैलू उम्र 20 वर्ष पुत्र दिगम्बर

– अप्रार्थीगण

उपस्थित 1. श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट
श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट

Web Copy Not Official

निर्णय

1. यह कि उक्त उपरोक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चूका है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद हैं।
2. यह कि खाता सं. 9 के खसरा नम्बर 457 रकवा 0.22 व 458 रकवा 0.14 किता 2 कुल रकवा 0.36 है व खाता सं. 95 खसरा नम्बरान 388 रकवा 0.07, 389 0.07, 390 रकवा 0.08 , 391 रकवा 0.07 किता 4 कुल रकवा 0.29 है, तथा खाता सं. 147 के खसरा न. 433 रकवा 0.24 वाके ग्राम झौरोल तहसील नदबई में स्थित हैं तथा खाता सं. 9 की आराजी पर वादिनी 1/4 हिस्से पर तथा खाता सं. 95 आराजी पर सायला 1/6 हिस्से पर खाता सं. 147 बाके ग्राम झौरोल तह. नदबई पर सायला सह खातेदार व काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा शेष हिस्से के मुतालिक रिकार्ड

Scanned by CamScanner

मुतालिक हिस्सा गैरसायल सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 23 सह खातेदार व काविज है सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 बाके झौरोल साथ में सलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र के खाता सं. 9 का 1/4 हिस्सा खाता सं. 95 का 1/6 हिस्सा खाता सं. 14 का 1/4 हिस्सा बाके झौरोल को सायला ने जरिये वयनामा 26.03.2012 को प्रतिफल 1,00000 एक लाख रूपया देकर गैरसायल सं. 1 से खरीद किया था तथा उक्त दिनांक को ही सायला ने गैरसायल सं. 1 से कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा इन्तकाल नं. 325 से सायला के नाम अमल दरामद होकर खातेदारी के इन्द्राजात आवे।

4. यह कि विवादित आराजी को वादिनी/सायला व गैरसायलान /प्रतिवादीगण मुताबिक रिकार्ड व मुताबिक हिस्सा काश्त करते चले आ रहे है विवादित आराजी का आज तक कोई मौखिक मनवट या कानूनी बटबारा नही हुआ है। परन्तु गैरसायलान, सायला को विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र के सायला के हिस्से से बेदखल जबरन कर देने के प्रयास में है हौर , मेढव लगान पर झगडा करते है।

5. यह कि गैरसायलान ने 20.07.2017 को व मुकाम झौरोल तह. नदबई पर सायला को यह ऐलानिया धमकी दी है कि सायला को विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र के हिस्से से जबरन लठठ् के बल पर बेदखल करके रहेगे व सायला द्वारा उसके हिस्से में बोई गई फसल ज्वार व बाजरा आदि को नष्ट करके रहेगे । अगर गैरसायलान अपनी दी गई धमकी में कामयाव हो गये तो सायला को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी । अतः सायला गैरसायलानों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने की अधिकारिणी है।

6. यह कि प्राईमापेसी केश सुविधा का संतुलन सायला के हक मे बायूवी सिद्व है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र 212 राज. टी. एक्ट सायला स्वीकार किया जाकर समस्त गैरसायलानों को ता. फेसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा डिक्री से पाबंद किया जावे कि वे सायला व प्रतिवादीगण सं. 6 लगायत 23 व गैरसायलान के मध्य उनके रिकार्ड में अकिंत हिस्सेदार व हक हिस्सेनुसार बटबारा किया जावे व पृथक लगान तय किया जावे व पृथक पृथक सर्वे नम्बर बनाऐ जावे। व अस्थाई निषेधाज्ञा वाहक सायला विरूद्व गैरसायलान इस आशय की जारी की जावे कि उक्त गैरसायलान , सायला को विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र मद सं. 2 प्रार्थना पत्र के सायला के खाता सं. 9 के खसरा नम्बर 457 रकवा 0.022 व 458 रकवा 0.14 के 1/4 हिस्सा व खाता सं. 95 के खसरा न0 388 रकवा 0.07 , 389 रकवा 0.07 , 390 रकवा 0.08 , 391 रकवा 0.07 किता 4 कुल रकवा 0.29 है के 1/6 हिस्से व खाता सं. 147 का ख. न. 433 रकवा 0.24 के 1/4 हिस्सा बाके ग्राम झौरोल तह. नदबई से

Scanned by CamScanner

बेदखल न करे तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे सायला के हक व हकूको पर जबाल आवे। शपथ पत्र पेंश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किये गये। अप्रार्थी स. 1 व 2 की और से श्री रामकिशन गुर्जर एण्ड0 उपथित हुऐ। शेष अप्रार्थी स. 3 लगायत 5 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयीं। अप्रार्थी स. 1 व 2 को जबाब प्रार्थना पेश करने हेतु कई मौके दिये जाने के बावजूद भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया इनका जबाब प्रार्थना पत्र बंन्द किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 वाके ग्राम झौरोल, नकल फोटो प्रति इन्तकाल स. 325 बयनामा वाके ग्राम झौरोल, नकल फोटो प्रति बयनामा दिनांक 26.03.2012 पेश किये गये।

अप्रार्थी की और अपने समर्थन में दस्तावेजी के रूप में मोखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी के रूप में कोई भी पेश नही किये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :–

1. प्राईमाफेसी केस – प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2070 से 2073 वाके ग्राम झौरोल पर प्रार्थीगण एव अप्राथीगण की खातेददारी का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजी पर अराजीयाज का अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने मनबट अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति में जब तक उभय पक्षकारान का कानूनी रूप से बटवारा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हक निहित रहता है। प्रथम दृष्टया प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है।

2. सुविधा का सन्तुलन – सुविधा का सन्तलन भी प्रार्थी के हक में है।

3. अपूणीय क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजीया की खुर्द बुर्द होने का अंदेशा रहेगा तो अजीम क्षति भी प्राथी को होगी।

Scanned by CamScanner

अत– उक्त बिन्दुबार निर्णय अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूणीय क्षति भी प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अत आदेश है कि खाता सं. 9 के खसरा नम्बर 457 रकवा 0.22 व 458 रकवा 0.14 किता 2 कुल रकवा 0.36 है व खाता सं. 95 खसरा नम्बरान 388 रकवा 0.07, 389 0.07, 390 रकवा 0.08 , 391 रकवा 0.07 किता 4 कुल रकवा 0.29 है, तथा खाता सं. 147 के खसरा न. 433 रकवा 0.24 वाके ग्राम झौरोल तहसील नदबई में स्थित हैं पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे एवं निमार्ण कार्य नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner